

## नौकरशाही में नैतिकता

**Dr. Ashok Fulwariya**

सारांश

भारत में सिविल सेवा की मूल अवधारणा का विकास ईस्ट इण्डिया कम्पनी के द्वारा किया गया, सिविल सेवाओं में प्रशिक्षण हेतु लार्ड वैलेजेली द्वारा 1800 ई. में कोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। वर्ष 1857 में मैकाले समिति की सिफारिश पर सिविल सेवाओं में चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा को प्रारंभ किया गया, इस समिति की सिफारिश से ही भारत में सिविल सेवाओं में परिवर्तन आया, भारत में वर्ष 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई इस आयोग के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा, वर्तमान समय में भी सिविल सेवकों का चयन संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है सिविल सेवकों में नैतिक आचरण व ईमानदारी बनाये रखने में विभिन्न संवैधानिक व अन्य संस्थाओं की भूमिका रही है। लेकिन क्या सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार व अनैतिक आचरण को रोकने के लिए किये गये प्रयास कारगर सिद्ध हो रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में यह शोध- पत्र अवलोकनीय है।

मुख्य शब्द – नैतिकता, सिविल, राजनैतिक, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा,

**प्रस्तावना** – भारत में सिविल सेवकों के सम्मान में 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष सिविल सेवक दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सिविल सेवकों को स्टीम फ्रेम नाम दिया गया। सिविल सेवकों के द्वारा अपने क्षेत्र की समस्याओं व उनको दूर करने हेतु जनता से सम्पर्क स्थापित किया जाता है। भारत के कई सिविल सेवकों में कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठता नैतिकता जैसे गुण देखने को मिलते हैं जिसमें किरण बेदी आई.पी.एस और सौम्या पाण्डे आई.ए.एस जिन्होंने देश के उत्थान व विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिविल सेवकों में नैतिकता की विवेचना ही इस शोध पत्र का उद्देश्य है। नैतिकता के पालन हेतु सरकार के द्वारा कई समितियों व संस्थाओं का गठन किया जा रहा है।

**अध्ययन की आवश्यकता, महत्व व उद्देश्य**— वर्तमान समय में सिविल सेवक ईमानदारी पारदर्शिता समानता व न्याय जैसे आधारभूत मूल्यों को अपनाते हुए एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं सिविल सेवक सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं। जनता प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करके उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सिविल सेवक जनता व सरकार के बीच की कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। सिविल सेवकों के नैतिक आचरण के द्वारा ही जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो पा रही है। इस भागीदारी के कारण ही सिविल सेवक नितियों का बेहतर निरूपण व क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। प्रस्तुत शोध की सार्थकता इसकी आवश्यकता इसका महत्व उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है।

**अध्ययन विधि व सामग्री** – प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक है सिविल सेवको के नैतिक व्यवहार व पारदर्शिता जवाबदेही के कारण विकास की बदलती बेहतर तस्वीर को जानने के लिए शोध संरचना के विवरणात्मक प्रकार को अपनाया गया,

**प्राथमिक स्रोत**— प्राथमिक स्रोत से सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए कार्मिक विभाग व प्रशासनिक विभागों व प्रभागों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया इस सूचनाओं का अवलोकन करने के लिए शोधकर्ता द्वारा कार्मिक विभाग के अधिकारियों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित किया गया।

**द्वितीयक स्रोत**— शोध अध्ययन के सैद्धान्तिक व ऐतिहासिक पक्ष की विवेचना के लिए द्वितीयक स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त की गई इसी क्रम में केन्द्र व राज्य द्वारा समय समय पर जारी सूचनाएं, समाचार पत्र व विषय से सम्बन्धित पुस्तकों में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया गया।

सिविल सेवकों की भूमिका प्रभावी न होने के कारण—डिजिटल आधार भूत ढांचा कमजोर होना, साईबर अपराध, सम्प्रेषण की समस्या, डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण सिविल सेवकों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राजनैतिक दबाव, लालफीताशाही, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग आदि के कारण सिविल सेवकों की मानसिक स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ रहा है शासन में नैतिकता के लिए सरकार द्वारा नौकरशाही को नैतिक मूल्यों का अनुसरण करवाने हेतु किये गये प्रयासों में अभी भी कमियां हैं।

**सुझाव** – सिविल सेवकों को दिये जाने वाले आधार भूत प्रशिक्षण में विशेष रूप से नैतिक मूल्यों का विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिससे वह नैतिक जीवन में उसे अपना सके।

सरकार के द्वारा सिविल सेवकों के नैतिक आचरण व कर्तव्यों का पालन करने पर उन्हें समय समय पर सम्मानित किया जाना चाहिए जिससे सिविल सेवकों का मनोबल उच्च एवं निष्पक्ष बना रहे।

सरकार द्वारा सिविल सेवकों को डिजिटल संसाधनों की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाये जिससे सरकारी कार्यों व योजनाओं को सिविल सेवकों के द्वारा समय पर पूरा किया जा सके।

सिविल सेवकों पर राजनैतिक दबाव का प्रभाव कम करने के लिए कुछ सवैधानिक नियम व कानून लागू करने चाहिए जिससे उनकी मानसिकता पर इसका दुष्प्रभाव न पड़ सके।

### **संदर्भग्रंथ सूची**

1. सिविल सर्विसेज नोएडा (यूपी) क्रॉनिकल, अवलोकन “मीडिया, व समाज भूमिका, चुनौतियाँ तथा प्रभाव” सितम्बर 2019, पृ. 169
2. [www.investopedia.com](http://www.investopedia.com) “सौशल मीडिया” परिभाषा प्रभाव दिनांक 31 अगस्त 2021।
3. [badisoch.in](http://badisoch.in) “सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्म, दिनांक 19 फरवरी 2023
4. सिविल सर्विसेज नोएडा (यूपी) क्रॉनिकल फोकस “सोशल मीडिया का विनियमान एवं चुनौतियाँ” मई 2021 पृ. 14

5. [www.dristiias.com](http://www.dristiias.com) “सौशल मीडिया और युवा” दिनांक 18.10.2021
6. प्रतियोगिता दर्पण आगरा, आलेख अखिलेश आर्युन्दु “मीडिया की सकारात्मक एवं नकारात्मक दिशा” नवम्बर 2017, पृ. 102
7. डॉ. बी.एल.फड़िया, डॉ. कुलदीप फड़िया “प्रमुख पश्चिमी राजनितिक विचारक” कॉलेज बुक हाउस, चोडा रास्ता जयपुर, 1999, पृ. 260
8. **Rajasthan Journal o Sociology 2021, Vol. 13 (UGC-Care List)** अक्टूबर 2021, आलेख “कोरोना काल में युवा पीढ़ी और सोशल मीडिया” पूनम बजाज, पृ. 183
9. प्रतियोगिता दर्पण नवम्बर 2017, उपरोक्त पृ. 102